न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/207

सुगना बाई पुत्री कजोड़ पत्नी रमेशचन्द जाति बैरवा, निवासी गोन्दी हाल निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. अनिल पिता बृजमोहन जाति बैरवा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. कजोड़ पिता नारायण जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
3. सीताराम पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. जोधराज पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. कमलेश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. चमेलीबाई पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
7. प्रतापीबाई पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. कैलाशबाई पुत्री मन्ना जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. धन्नी पुत्री माधो जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
10. पुश्पा पुत्री पन्ना जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
11. भैरी पुत्री माधो जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
12. भोलूलाल पिता माधो जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
13. रामगोपाल पिता माधो जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
14. रामलाल पिता माधो जाति बैरवा निवासी गोन्दी तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा , तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). संजय पाटौदी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रघुवीर सिंह राठौड़– अधि0 रेस्पो0 संख्या 2 से 6, 10, 12 से 14

निर्णय **दिनांक 21.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीया अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आ ाय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा गोन्दी तहसील पीपल्दा की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 की खाता संख्या 11 की आराजी संख्या 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 375, 384, 77 78, 81, 85, 89, 90 कुल किता 15 कुल रकबा 7.25 हैक्टेयर कृषि आराजीयात प्रार्थीया अपीलांट व अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 , 8 से 14 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कजोड पुत्र नारायण का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीया अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 आपस मे सगे भाई बहिन है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया अपीलांट व अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 7 के पिता है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीया को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है जिसमे प्रार्थीगया के पिता का कजोड़ पुत्र नारायण का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। इस प्रकार उक्त पुश्तैनी आराजी मे प्रार्थीया का 1/7 हिस्सा निहित होने से प्रार्थीया को अपने हिस्से को खातेदारी मे पृथक रूप से दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। अन्त मे अप्रार्थी सख्या 2 को इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रार्थीया के निहित 1/21 हिस्से की कृषि आराजी को रहन, बेचान, दान, वसीयत आदि नहीं करे एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन

नोटिस की पालना मे अप्रार्थी संख्या 7 एवं 2 से 6, 10, 12, 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6, 10, 12, 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 18.08.2022 को प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 18.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थीया की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6, 10, 12 से 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 से 9, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीया अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे प्रार्थीया अपीलांट का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के हिस्से को हस्तांतरित करने का रेस्पोडेन्टगण को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि प्रार्थीया के हक अधिकारों की घोषणा वाद के निस्तारण के समय तय की जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं यह मानता है कि वादग्रस्त भूमि के हक का निर्णय वाद के अन्तिम निस्तारण पर ही हो सकता है तो ऐसे मे कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को वाद के अन्तिम निस्तारण तक संरक्षित रखा जावे अन्यथा वाद प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जावेगा और वाद बहुलता बढ़ेगी, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सर्वमान्य सिद्धान्त के विपरीत जाकर अपीलांट प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील

अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 को निरस्त किये जाने व रेस्पोडेन्टगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजीयात को दीगर को किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे एवं अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे। साथ ही राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मे अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादग्रस्त आराजीयात का अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हिस्सा व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया अपीलांट का नाम विवादित आराजीयात मे राजस्व अभिलेख मे भी अंकित नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता नारायण ने अपने जीवनकाल मे ही बंटवारा कर दिया था। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 अपने 1/3 हिस्से पर पारिवारिक विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया अपीलांट खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का हित सृजित नहीं करती है, विवादित आराजीयात के संबंध खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, जिससे प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। किसी भी खातेदार को अपने जीवनकाल मे खातेदारी की भूमि का पारिवारिक कर्जे चुकाने एवं स्वयं के परिवार का भरण पोशण आदि करने के लिए भूमि का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया अपीलांट अपने ससुराल मे रहती है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीया अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । पिता के जीवनकाल में पुत्री को हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते । संतान पिता के जीवित रहते हक–हिस्सा नहीं मांग सकते । इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट प्रार्थीया खातेदार नहीं होने व काबिज काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 162, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज

391, आर.आर.टी.2016 (1) पेज 364, आर.आर.टी.2017(2) पेज 1362, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1238 प्रस्तुत किया गया । अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थीया अपीलांट ने अपने दादा की पुश्तैनी आराजीयात बताकर अपने दादा से अपने पिता कजोड़ को प्राप्त हिस्सा 1/3 हिस्से मे स्वयं का 1/7 हक हिस्सा निहित होना बताया है। अपीलांट रेकॉर्डेड खातेदार नहीं है । भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात माधो, नारायण पुत्रान बख्शु हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर, मन्ना, पन्ना पुत्रान बिरधा हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर दर्ज रेकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 के कॉलम संख्या 4 में वादग्रस्त आराजीयात मोडूलाल, रामलाल पुत्र माधो, धन्नी, भैरी पुत्रियां माधो हिस्सा 2/3 , नारायण पुत्र बख्शु हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर इन्तकाल नम्बर 20 अंकित है तथा उक्त जमाबंदी मे टिप्पणी के कॉलम मे नामान्तरकरण संख्या 71 से नारायण के बजाय कजोड़ पुत्र व पुत्री गोपाली के नाम खाता दर्ज होने का नोट लगा हुआ है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात कजोड़ पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 भोलूलाल, रामलाल पुत्रावली माधो व धन्नी भैरी पुत्रियां मोधो हिस्सा 1/3 व रामगोपाल व जानकीबाई, कैलाशीबाई, कमलेशबाई, गीताबाई पुत्रियां भूलिबाई बेवा मन्ना हिस्सा 1/6 पुष्पा पुत्री पन्ना हिस्सा 1/6 कौम बैरवा साकिन देह दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त सभी दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पैतृक होना प्रतीत होता है, हालांकि यह अंतिम रूप से निर्धारण मूल वाद के निर्णय मे होगा। पैतृक भूमि के संबंध मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब मे किसी पुत्र, पुत्री का उसके जन्म से ही सहदायिकी सम्पत्ति में हक अधिकार निहित हो जाते है। हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि पुत्र पिता के जीवनकाल में हिस्सा नहीं मांग सकता है । हिन्दू पैतृक सम्पत्ति में संतान के जन्म के साथ ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की तथ्य व परिस्थितियॉं तथा प्रसंग इस प्रकरण से

भिन्न हैं । अतः इस प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थिति पर चस्पा नहीं होते । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 02 की पुत्री है, तथा रेस्पोडेन्ट ने भी इसका खण्डन नहीं किया है । अधिनियम के प्रकाश मे प्रस्तुत प्रकरण मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात के हिस्सा 1/3 के सहखातेदार कजोड के परिवार मे उसके तीन पुत्र तथा तीन पुत्रियों मे अपीलांट सुगना बाई भी पुत्री के रूप मे सम्मिलित है, जिसके अनुसार कजोड़ के हिस्सा 1/3 मे प्रार्थिया अपीलांट का हिस्सा 1/7 हक अधिकार निहित हो सकता है, हालांकि अपीलान्ट सहित पक्षकारों के हक अधिकार मूलवाद मे तय होंगे। इस स्टेज पर हमें केवल प्रथमदृष्टया प्रकरण देखना है । मूलवाद के निस्तारण से पूर्व यदि विवादित आराजीयात के खातेदार प्रार्थीया अपीलांट के उसके द्वारा कथित हिस्से को किसी प्रकार से हस्तांतरित व खुर्द–बुर्द करते है तो वाद बहुलता बढने की संभावना है । अतः प्रथमदृ ष्ट्या प्रार्थिया अपीलांट के विवादित आराजीयात मे उसके द्वारा कथित निहित हिस्से तक अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। पैतृक सम्पत्ति में यदि अपीलान्ट के सम्भावित हिस्से की भूमि को विकय, रहन या अन्तरण किया जाता है तो अपीलान्ट को असुविधा होगी तथा उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना रहेगी । उक्त स्थिति में प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत होते हैं ।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मौजा गोन्दी तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 11 मे दर्ज खसरा संख्या 226 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 227 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा संख्या 229 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 236 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 237 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 238 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 384 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 78 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 81 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 85 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 90 रकबा 0.73 हैक्टयर कुल किता 15 कुल रकबा 7.25 हैक्टेयर कृषि आराजीयात मे प्रार्थीया अपीलांट द्वारा क्लेम किये गये अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम संख्या 2 के 1/3 हिस्से में से 1/7 हिस्से की भूमि का

वाद के निर्णय तक रहन, बेचान, अन्तरण आदि नहीं करे । रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अतिरिक्त अन्य पक्षकार इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे ।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा